यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.07.2018 से 07.08.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारिओ द्वारा दिनांक 31.08.2017 से 11.09.2017 तक श्री एन०के०सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कर निर्धारण

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	4362.28
2016-17	7789.62
2017-18	2137.89 (जून2017 तक)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**(+)**	**(-)**
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-वित्त -आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर - डिप्टी कमिश्नर - सहायक आयुक्त- राज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ----------को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2 'अ'</u>

प्रस्तर-1 देय कर विलंब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹10.02 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

आगे, दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् कोई ब्यौहारी अधिनियम के अन्तर्गत देय कर विवरणी जमा करने के पूर्व या साथ में जमा करने में असफल रहता है तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत किन्तु 30 प्रतिशत से अनधिक, यदि कर जमा करने में 1 माह से अधिक विलम्ब होता है तथा कर की राशि बीस हजार रूपये तक हो, भुगतान करेगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-प्रथम, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'क'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार 10.02 लाख अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹10.02 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि ()	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) ()
1.	सर्वश्री नैनी पेपर्स लि0, काशीपुर (टिन नं0 05002381569)	2013-14 (द्वितीय त्रैमास)	07/2013	26,74,281 (CST) 2,62,177 (VAT) **29,36,458 Total**	25.08.2013	03.09.2013	09 दिन	**2,93,646**
		2013-14 (तृतीय त्रैमास)	10/2013	30,54,059 (CST)	25.11.2013	28.11.2013	03 दिन	**3,05,406**
2.	सर्वश्री नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर (टिन नं0 05002381860)	2013-14	07/2013	32,90,686 (चालान सं0 Ck32843714)	20.08.2013	03.09.2013	12 दिन	**3,29,068**
3.	सर्वश्री जी सेल्स कार्पोरेशन, काशीपुर (टिन नं0 05002441418)	2015-16 (चतुर्थ तिमाही)	01/2016 to 03/2016	3,70,160	20.04.2016	23.11.2016	1 माह से अधिक	**74,032** (कर का 20%)
							योग	**10,02,152**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 समाधान राशि की अधिक वापसी के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹6.64 लाख ।

उत्तराखंड शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लागू की गयी थी। जिसे वापस लेते हुए उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXIII(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। जिसमे निम्न परिवर्ती शर्तो एवं प्रतियांधों के अधीन अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सिविल संविदा की शर्त के अनुसार सिविल सविदा के संबंध मे समाधान राशि की गणना निम्न शर्तो के अनुसार की जाएगी। बिन्दु 03 के अनुसार सिविल सविदाकारों के संबंध मे समाधान राशि मे समाधान राशि का आगणन-सिविल संकर्म संविदाओ के संबंध मे समाधान राशि का आकलन, सविदाकार द्वारा सम्पन्न सविदा की सकल धनराशि मे से सविदी द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि पर की जाएगी जिसका उल्लेख सविदा मे हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदा मे मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमे सविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि मे से अर्थवर्क के संबंध मे संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि घटा दी जाएगी तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना की जाएगी।

(क) ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी एवं जिन मामलों में संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो ।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0)-1, राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखो की नमूना जांच में पंजीकृत व्यौहारीसर्व श्री महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन काशीपुर टिन न0-05002586724 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की जांच मे पाया गया कि पत्रवाली पर उपलब्ध फार्म-8 के विवरण मे संविदाकार द्वारा सकल

भुगतान (Gross Payment) के स्थान पर वास्तविक भुगतान (Net Payment) को घोषित किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित था:-

01	फार्म - 8 संख्या	संविदाकार द्वारा घोषित कुल भुगतान (मे)	Gross payment जिस पर समाधान कर निर्धारित किया जाना चाहिए (मे)	अंतर की धनराशि जिस पर समाधान कर नहीं लगाया गया। (मे)	TDS (मे)
1	2	3	4	5(4-3)	6
01	004659	5183705	6046881	863176	362812
02	140511	2491392	2866781	375389	172007
03	140512	8470212	9735871	1265659	584152
04	037150	4448750	4448750	0	266925
05	036994	32282861	32282861	0	699076
06	023750	4862583	4862583	0	143380
07	150827	2416661	2715348	298687	54307
08	127473	33027215	44113049	11085834	1977039
09	035485	9662463	9662463	0	295564
10	077603	6640665	7140650	499985	285626
11	097279	4767175	6974478	2207303	285076
12	024464	3409580	3409580	0	136383
योग		**11,76,63,262**	**13,42,59,295**	**1,65,96,033**	

इसके साथ ही कर निर्धारण आदेश के अनुसार 5430622-00 के आयातित माल का सांविदा में प्रयोग किया जाना पाया गया। किन्तु यह स्पष्ट नही किया गया कि आयातित माल का सांविदा में किस वर्ष प्रयोग किया गया। शासनादेश संख्या-380/2013/02/(120) /2013(घ) के अनुसार जिन मामलों में सिविल संविदाकार (क) में आयातित माल का सांविदा में प्रयोग किया गया तो समाधान राशि की गणना चार प्रतिशत की दर से किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार अंतर की धनराशि ₹ 16596033 पर समाधान राशि की गणना नहीं की गयी ।

अतः उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर ₹6,63,841 (16596033 x 4 प्रतिशत) संविदाकार पर अनारोपित रह गया। संविदाकार को ₹ 7,12,563 की वापसी की गयी है। जबकि संविदाकार को 48,723 की वापसी ही किया जाना था। इस प्रकार ₹6,63,841 की अधिक वापसी की गयी थी ।

सम्प्रेक्षा के इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गई कि व्यापारी की गोपनीय पत्रावली में संलग्न जमा रसीद संख्या 370523 दिनाँक 16-09-2013 से कार्यालय असिस्टेंट कमिशनर खण्ड-2 काशीपुर में केन्द्रीय

पंजीयन प्रमाण-पत्र दाखिल करते हुये निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। जिसके परिप्रेक्ष में नियमानुसार कर की गणना कर कृत कार्यवाही से कर अवगत करा दिया जायेगा।

उल्लिखित नियम के आलोक में वर्ष 2012-13 में 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित किया जाना निर्विवाद होगा। चूंकि ब्योहारी द्वारा संविदा में ₹ 54 लाख का माल आयात एवं उपयोग किया जाना पाया गया। अत: ₹16596033 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹6663841 की अधिक वापसी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-2 कर कम जमा किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹3.34 लाख ।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-1, राज्य कर, काशीपुर के शासन की अधिसूचना संख्या-282/XXXVI(3)/ 2017/41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार स्वतः कर निर्धारण वादो/अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित व्यापरियो के स्वतः कर निर्धारण पत्रावली की जांच मे निम्नलिखित कमिया पायी गयी:-

1. व्यापारी सर्व श्री अरविंद एजेंसी काशीपुर टिन सं0 05002280689 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा द्वितीय तिमाही के आन लाइन रिटर्न के अनुसार ₹10423 की आई टी का सत्यापन नहीं हो पाने एवं ₹346479 का क्रय कम दर्शाया जाना पाया गया जिसके संबंध मे संबन्धित खंड के कर निर्धारण अधिकारियों को पत्र लिख कर इस संबंध सूचना चाही गयी थी। पत्रवली पर संबन्धित खंड के अधिकारियों द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी थी। अतः उक्त के अभाव मे ली गयी आई टी सी का तीन गुना अर्थदण्ड ₹ 31269 (₹10423 x 3) व्यापारी पर आरोपणीय है एवं उक्त कर निर्धारण स्वतः कर निर्धारण के अंतर्गत न करके नियमित कर निर्धारण किया जाना चाहिये।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित कार्यालय से सत्यापन उपरांत अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

2. व्यापारी सर्वश्री अमित इलैक्ट्रिकल काशीपुर टिन सं0 05002274481 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ₹ 4,68,12,611 घोषित करते हुए कुल कर ₹35,88,880 स्वीकार किया गया है। व्यापारी द्वारा ₹33,85,459 का आई टी सी का दावा किया है एवं कोई भी टैक्स जमा नहीं किया गया है। अतः व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर ₹2,03,421(₹3588880-₹3585459) कम जमा किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वतः कर निर्धारण आदेश मे प्रा0 अवशेष एवं अंतिम अवशेष न होने के बाद भी स्वतः मे कर निर्धारण स्वीकार कर लिया गया है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही करते हुये अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया। यह भी अवगत करना है कि व्यापारी कि वर्ष 2014-15

की चतुर्थ त्रेमास से ₹188027 आई टी सी अगसरित किया गया है। जिसका समायोजन व्यापारी द्वारा आलोच्य वर्ष मे किया गया है।

व्यापारी कि वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास के विवरणी के अनुसार ₹187204 आई टी सी का अग्रसारित की गयी है। अतः ₹16,217 (2,03,421 – 1,87,204) का कर कम जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था ।

3. व्यापारी सर्व श्री शुभम इंटरप्राइजेज़ टिन सं0 05002450051 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे व्यापारी द्वारा कुल बिक्री कर युक्त ₹14,13,48,760 घोषित करते हुए कुल कर ₹70,67,438 स्वीकार किया गया था। आई टी सी ₹ 66,62,632+ ₹1,17,815 (कर जमा किया गया)= ₹67,80,447 का लाभ देने के बाद ₹2,86,991 (₹27,48,517 – ₹23,09,890) की मांग/कर कम जमा किया गया । जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। उल्लेखनीय है कि स्वतः कर निर्धारण आदेश मे प्रा0 अवशेष एवं अंतिम अवशेष न होने के बाद भी स्वतः मे कर निर्धारण स्वीकार कर लिया गया था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आन लाइन दाखिल खरीद व बिक्री का वार्षिक विवरण निकालकर उसके आधार पर स्वतः निस्तारण किया गया है। अंतर के संबंध मे जांच करते हुये अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 3 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 3.58 लाख।

(अ) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 282/XXXVI(3)/ 2017/41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-2 के विंदु 01 के, परंतु यह कि- के बिन्दु (दो) के अनुसार ऐसे मामले जिनमे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 अथवा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 मे विनिर्दिष्ट प्रविधानों के अंतर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, मे वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावो के समर्थन मे संबन्धित अधिनियम एवं नियम के प्रविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिनियम के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिये गए हो।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-1, राज्यकर, काशीपुर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री मेट्रो टायर्स टिन सं0 05002368086 स्वतः कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल बिक्री ₹3,14,01,083 घोषित करते हुये ₹24,48,556 का कर स्वीकार किया गया था। व्यापारी की वैट ऑडिट रिपोर्ट की जांच मे पाया गया कि प्रांतीय बिक्री ₹ 3,35,16,001 एवं केंद्रीय बिक्री स्टाक ट्रान्सफर के रूप मे ₹2,52,120 दर्शाई गयी एवं इसमे क्रेडिट या डेविट नोट के रूप मे कोई धनराशि घटाई नहीं गयी थी। व्यापरी द्वारा दाखिल फार्म-3 के चारो त्रैमासिक विवरण के अनुसार भी कुल बिक्री ₹3,14,01,083 घोषित करते हुये कर ₹24,48,556 जमा कराया गया था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ₹21,14,918 (33516001-31401083) कम घोषित की गयी है तथा धनराशि ₹2,52,120 के संबंध फार्म-एफ भी संलग्न नहीं था। अतः उपरोक्त धनराशि पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर ₹3,19,550 (21,14,918 x 13.5% + ₹2,52,120 x 13.5%(form F) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जाँचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कि जाएगी। यह भी अवगत कराया गया कि व्यापारी की निर्धारित बिक्री पर 13.5 प्रतिशत दर से गणना की गयी है। परंतु व्यापारी द्वारा साइकिल व रिक्शा के टायर व ट्यूब की बिक्री की जाती है।

विभाग के उत्तर के परिप्रेक्ष मे यदि 5 प्रतिशत की दर से भी कर आरोपित किया जाए तो भी उक्त धनराशि पर ₹1,19,702 (23,94,038 x 5 प्रतिशत) का कर आरोपणीय होगा एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

(ब) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 (8) (झ) के अनुसार, ऐसे माल जो चोरी हो गया है, या खो गया है या नष्ट हो गया है या कारोबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सैम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है, पर पूंजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की उपरोक्त दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-प्रथम, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री श्रीनाथ इण्टरप्राईजेज, काशीपुर (टिन नं0 05007430904) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारी से ₹2,36,05,924/- की कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा व मिनरल वाटर खरीद किया गया है तथा उपरोक्त प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारी से की गयी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा व मिनरल वाटर की खरीद पर 13.5% की दर से ₹31,86,799/- आई0टी0सी0 क्लेम किया गया है । आगे जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में उपरोक्त क्रय की गयी कोल्ड ड्रिंक्स में से 2,86,035/- की ब्रेकेज/डिस्काउण्ट एक्सपायरी कम की गयी, परन्तु इस राशि पर आई0टी0सी0 क्लेम किया गया है ।

जबकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 6 (8) (झ) के अनुसार ब्रेकेज/डिस्काउण्ट एक्सपायरी पर आई0टी0सी0 देय नहीं है । अतः क्रय की गयी कोल्ड ड्रिंक्स में से 2,86,035 की ब्रेकेज/डिस्काउण्ट एक्सपायरी पर दी गयी आई0टी0सी0 38,615 (2,86,035 का 13.5%) अनुमन्य नहीं है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पत्रावली पर विक्रेता व्यापारी सर्वश्री बृन्दावन बेवरेज द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं क्रेडिट नोट संलग्न है । प्रमाण पत्र पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा क्रेडिट नोट की राशि पर एवं अन्य बिक्री पर वाणिज्य कर विभाग से किसी भी प्रकार का वैट रिवर्सल नहीं लिया गया है । जबकि मै0 जनता ट्रेडर्स काशीपुर 2013-14 के वाद में ब्रेकेज डिस्काउन्ट एक्सपायरी में आई टी.सी. अनुमन्य नहीं किया गया। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 12.09.2015 व अन्य क्रेडिट नोट की छायाप्रति संलग्न की जा रही है , जिनके आधार पर आपत्ति निक्षेप योग्य है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विक्रेता ब्यौहारी सर्वश्री बृन्दावन बेवरेज प्रा0 लि0, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) द्वारा जो प्रमाणपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2015 को क्रेडिट नोट दिया गया है वह **"क्राउन स्कीम"** के अन्तर्गत स्कीम, सैम्पलिंग कूपन आदि से सम्बन्धित है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 6 (8) (झ) के अनुसार ब्रेकेज/डिस्काउण्ट एक्सपायरी, स्कीम अथवा निःशुल्क सैम्पल या उपहार आदि पर आई0टी0सी0 देय नहीं है ।

अतः इनपुट टैक्स का अनियमित लाभ देने से ₹0.39 लाख की राजस्व हानि हुयी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/71/2017-18	1	01,02	
तदैव	-		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	उपायुक्त	04/2017 से वर्तमान तक (07.07.18)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र